झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 34 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन
ग्रा० + पो० - औंरा, थाना - बगोदर
जिला - गिरिडीह

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–34 / 2023

परिवादी श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्रा0+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह का परिवाद पत्र आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवादी द्वारा PMGKAY के तहत् बगोदर प्रखण्ड के कार्डधारियों को राशन डीलरों द्वारा माह सितम्बर, 2022 में प्रति यूनिट 3.5 कि0ग्रा0 एवं दिसम्बर, 2022 में 2.5 कि0ग्रा0 कम राशन वितरित करने का आरोप लगाते हुए इस संबंध में DGRO, गिरिडीह के समक्ष आवेदन समर्पित किया गया है, जिसकी प्रतिलिपि आयोग को प्राप्त हुई है।

परिवाद पत्र में उल्लेख है कि इस संबंध में उनके द्वारा राशन कार्डधारियों का हस्ताक्षरयुक्त आवेदन DSO, गिरिडीह के कार्यालय में 31.05.2023 को प्रेषित किया गया था किन्तु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह भी कि आयोग में दर्ज वाद सं0–10 / 2023 में दिनांक–22.03.2023 को इसी प्रकार के एक मामले में जिन कार्डधारियों को कम राशन वितरित किया गया था उन्हें मुआवजा सहित राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया था। एवं इसके आलोक में उक्त वाद से संबंधित कार्डधारियों को मुआवजे का राशन उपलब्ध भी कराया गया है। परिवादी ने अपने परिवाद पत्र में कार्डधारियों के कटौती किये गये अनाज और मुआवजा उपलब्ध कराने का आग्रह किया है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए इस पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त परिवाद पत्र की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–12.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

7.8.23

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
23.08.2023	**वाद संख्या–34 / 2023** दिनांक–11.09.2023 से दिनांक–14.09.2023 तक आयोग का पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ एवं पूर्वी सिंहभूम जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। इसके बाद माह सितम्बर, 2023 की अन्य तिथियों में भी अन्य कई जिलों का भ्रमण कार्यक्रम निर्धारित है। सितम्बर माह में निर्धारित क्षेत्र भ्रमण के कारण दिनांक–12.09.2023 के बाद माह सितम्बर में सुनवाई संभव नहीं हो पा रहा है। अतः न्याय में विलंब को टालने के उद्देश्य से इस मामले में सुनवाई की तिथि दिनांक–12.09.2023 के स्थान पर दिनांक–08.09.2023 को अपराह्न 12:00 बजे निर्धारित की जाती है। उभय पक्ष को सूचित करें। दिनांक–08.09.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–34 / 2023	
08.09.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी, बगोदर, डॉ श्री राकेश कुमार आयोग कार्यालय में उपस्थित। प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकरी, बगोदर ने आयोग को एक प्रतिवेदन भेजा है जिसमें उन्होंने शिकायतकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन के शिकायतों को बेबुनियाद बताया है, जबकि शिकायतकर्त्ता अपनी शिकायत पर कायम हैं। अतः आयोग शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो इस वाद के सभी दस्तावेजों के साथ दिनांक–03.10.2023 को आयोग में उपस्थित रहें। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह को निर्देश देता है कि वो दिनांक–03.10.2023 को सुनवाई में उपस्थित होकर शिकायतकर्त्ता के शिकायतों का निदान हो जाने का प्रमाण पेश करे। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–03.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–03.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Rachana\Court order.docx7

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–34 / 2023	
03.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–08.09.2023 को हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता टेलीफोन के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित थे। जबकि द्वितीय पक्ष की ओर से प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बगोदर, डॉ0 श्री राकेश कुमार आयोग में उपस्थित थे। प्रभारी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, बगोदर ने आयोग को समर्पित एक प्रतिवेदन के माध्यम से यह अवगत कराया था कि श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत बेबुनियाद है। प्रखण्ड आपूति पदाधिकारी द्वारा शिकायतों को बेबुनियाद बताये जाने पर पिछली सुनवाई में ही शिकायतकर्ता ने यह कहा था कि वे अपनी शिकायतों पर कायम हैं। आयोग में सुनवाई के दौरान आज शिकायतकर्ता ने लिखित तौर पर साक्ष्य समर्पित करते हुए अपनी शिकायतों एवं आरोपों को प्रमाणित करने का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। आज की सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह अनुपस्थित हैं। ऐसे में आयोग शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों की प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी को भेजते हुए निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता द्वारा पेश किये गये साक्ष्य एवं प्रमाण की जाँच कर प्रतिवेदन आयोग को भेजें। सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–31.10.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–31.10.2023 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx109	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–34 / 2023	
31.10.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित। आज की सुनवाई Telephonic Conference के माध्यम से की गई। टेलीफोन के जरिये हुई सुनवाई में शिकायतकर्ता, श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि जनवितरण प्रणाली के दुकानदार को कम अनाज उपलब्ध कराये जाने के कारण ही लाभुकों को कम अनाज उपलब्ध कराया गया। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को स्पष्ट तौर पर यह बताना चाहता है कि विभाग की कमी एवं खामी का खामियाजा लाभुकों को भुगतने नहीं दिया जा सकता। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता को जितने अवधि का अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है, उतने अवधि का अनाज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। किस मद से एवं कहाँ से उपलब्ध कराया जाएगा, यह विभाग की जिम्मेवारी है। आयोग किसी भी लाभुक को निर्धारित मात्रा से कम अनाज उपलब्ध कराने पर कार्रवाई करेगा। यदि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह ने आयोग के आज के आदेश का अनुपालन नहीं किया, तो आयोग अगली सुनवाई में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई करने को बाध्य होगा। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–17.11.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–17.11.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx113	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–34 / 2023	
17.11.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग में उपस्थित होकर आयोग के पिछले आदेश का अनुपालन कर दिये जाने की बात कह रहे हैं। जिला आपूर्ति पदाधिकारी सूची और प्रतिवेदन के साथ आयोग में उपस्थित हैं। आयोग सदस्य सचिव, खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित सूची की एक प्रति शिकायतकर्ता को डाक के माध्यम और वाट्सएप्प के माध्यम से भी भेज दें। आयोग शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रतिवेदन के विरूद्ध अपना लिखित पक्ष आयोग को भेजें। मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–15.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–15.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyauf\Vinod Sir\Commission order.docx124	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
15.12.2023	**वाद सं0–34 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से डॉ0 जियाउल रहमान, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्त्ता ने अपना लिखित पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने ने आयोग के आदेश का पूर्णतः पालन नहीं होने की बात कही है। इस बीच जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि के तौर पर आयोग में उपस्थित डॉ0 जियाउल रहमान, प्रखण्ड पशुपालन पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के पिछली सुनवाई के बाद बाकि बचे अनाज का वितरण कर दिया गया है। प्रमाण स्वरूप वो सूची लेकर आयोग में उपलब्ध है। न्याय के हित में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा आयोग को समर्पित सूची की एक प्रति शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध कराते हुए शिकायतकर्त्ता को निर्देश देता है कि वो पूरे सूची का अध्ययन कर देख ले कि उनकी मूल शिकायतों का अक्षरशः निपटारा हो गया है या नहीं। यदि शिकायतकर्त्ता को ये लगता है कि उनकी मूल शिकायत का निपटारा नहीं हुआ है तो शिकायतकर्त्ता को अपना पक्ष रख सकते है। ताकि उनके पक्ष के विरूद्ध जिला आपूर्ति पदाधिकारी को समुचित निर्देश निर्गत किया जा सके। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.12.2023 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.12.2023 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx16	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–34/2023	
28.12.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह Video Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के प्रतिनिधि के रूप में श्री विकास कुमार वर्मा, सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में शिकायतकर्ता ने अपना लिखित प्रतिवेदन आयोग को प्रेषित किया है। शिकायतकर्ता ने अपने प्रतिवेदन में इस बात का उल्लेख किया है कि पिछली सुनवाई के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा समर्पित किया गया प्रतिवेदन भ्रामक और तथ्यहीन है। शिकायतकर्ता ने बिन्दुवार तरीके से जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा की गई जाँच और दावे को गलत प्रमाणित किया है। शिकायतकर्ता द्वारा आयोग को प्रेषित प्रतिवेदन की एक प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि को हाथो–हाथ उपलब्ध कराते हुए निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी शिकायतकर्ता द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन पर अपना स्पष्टीकरण पेश करें और यह भी बताएँ कि क्यों नहीं आयोग उनके खिलाफ गलत जानकारी देने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करे ? मामले की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.01.2024 को रखें। Sd/- **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx141	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–34 / 2023	
11.01.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी का कहना है कि आयोग के निर्देश के आलोक में जिन शिकायतकर्त्ताओं को बकाया अनाज नहीं दिया गया है, उन्हें अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। दूरभाष के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता ने भी इस बात का तसदीक की। आयोग इस मामले की सुनवाई दिनांक–30.01.2024 निर्धारित करते हुए जिला आपूर्ति पदाधिकारी को ये निर्देश देता है कि तबतक बाकि बचा अनाज सभी शिकायतकर्त्ता को उपलब्ध कराने का प्रमाण आयोग में पेश करें। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–30.01.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30-01-2024	**वाद सं0–34 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह ऑडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि श्री विकास कुमार वर्मा, प्रभारी सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर, गिरिडीह आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि आयोग में उपस्थित होकर आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का प्रमाण पेश कर रहे हैं। गौरतलब है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने पिछली सुनवाई में आयोग को अवगत कराया था कि आयोग के आदेश के आलोक में बाकि बचे शिकायतकर्ताओं को अनाज उपलब्ध कराया जा रहा है। आयोग ने सभी बचे शिकायतकर्ताओं को बाकि बचे अनाज उपलब्ध करा दिये जाने का प्रमाण पेश करने का निदेश दिया था। आयोग के अभिलेख में समर्पित प्रमाण पेश किये गये हैं। इस वाद के शिकायतकर्ता प्रकाश चन्द्र चन्दन का कहना है कि इस वाद में कुल–13 ऐसे शिकायतकर्ता हैं जिन्हें अब तक पिछला बकाया अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि डीलर कुर्बान अंसारी से संबद्ध जितने शिकायतकर्ताओं के संदर्भ की शिकायत की गई थी। उन्हें राशन उपलब्ध करा दिया गया है लेकिन 13 ऐसे शिकायतकर्ता हैं जो माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह, औंरा एवं श्री रंजित कुमार, औंरा टोला धनमा डीलर के यहां सूचिबद्ध है उन्हें अब तक बकाया राशन उपलब्ध नहीं कराया गया है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश देता है कि उन 13 शिकायतकर्ताओं को बकाया राशन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें जो माँ दुर्गा स्वयं सहायता समूह और श्री रंजित कुमार, औंरा पंचायत के डीलर के यहां सूचिबद्ध हैं। आयोग आज के आदेश के अनुपालन का प्रमाण अगली सुनवाई में पेश करने का निर्देश जिला आपूर्ति पदाधिकारी को देता है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–12.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–12.02.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

D:\Premlata\Court.docx56

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–34 / 2023	
12.02.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्री प्रकाश चन्द्र चन्दन, ग्राम+पो0–औंरा, थाना–बगोदर Telephonic Conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से श्री विकास कुमार वर्मा, जनसेवक–सह–सहायक गोदाम प्रबंधक, बगोदर आयोग कार्यालय में उपस्थित। आयोग के पिछले आदेश के अनुपालन का प्रमाण जिला आपूर्ति पदाधिकारी के प्रतिनिधि द्वारा समर्पित किया गया। टेलिफोन के माध्यम से सुनवाई में उपस्थित शिकायतकर्त्ता ने भी माना की उनके शिकायतों का निदान कर दिया गया है। आयोग शिकायतकर्त्ता की सहमति से इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

G:\Rachana jsfc\Court order.docx32

पता–झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के पुराने भवन का द्वितीय तल, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, राँची–834002
email-jharfoodcommission@gmail.com, Ph No.-0651-2252267